

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्रधारा रोड
देहरादून।

परिवहन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 08 जनवरी, 2018

विषय- बागेश्वर में बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बागेश्वर में बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-03/IX/2012/24/2010, दिनांक 20.03.2012 द्वारा धनराशि ₹288.83 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त कार्य के लिए ₹25.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या 03, दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा ₹35.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 45, दिनांक 06.12.2014 द्वारा ₹15.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या 524, दिनांक 07.11.2015 द्वारा ₹35.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या 60, दिनांक 25.07.2016 द्वारा धनराशि ₹26.67 लाख (कुल धनराशि ₹136.67 लाख) की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2- प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के पत्र संख्या-157 नि.मु./X/सी.एम.घो.-बागेश्वर डिपो स्था./2017, दिनांक 06.11.2017 द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹25.00 (रुपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

- (v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- (vi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (vii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (viii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (ix) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरांत परिवहन निगम के संबंधित सहायक अभियन्ता (सिविल), वित्त नियंत्रक तथा प्रबंध निदेशक के प्रतिहस्ताक्षरोपरांत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक के माध्यम से तत्काल प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून को उपलब्ध करा दी जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 24 के लेखाशीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 050-भूमि तथा भवन 15-बस अड्डों का निर्माण 24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 610/3(150) XXVII (1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

पू संख्या-364 (1)/ 2017/24/IX-2/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेश सी-1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8- वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून।
- 9- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव।